

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पपत्र-6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प साहसी

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुरस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी साहसी
व भू.अ.नि. रेलमगरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा /नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भराई तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०१९ में खाता संख्या १३६ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भराई	136	<u>जीतादेवी मोहन लाल जायसवाल</u>	<u>जीतादेवी मोहन लाल जायसवाल</u>

6
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
रेलमगरा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक : 4 OCT 2025

क्रमांक:- 200

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री जीतादेवी | मोहन लाल जायसवाल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

6
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,